भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 07, 2021

जी.एस.आर.273 :- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 10 का संशोधन:- राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के विद्यमान नियम 10 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा,अर्थात्:-

''(1) जहां किसी बालक का जन्म किसी नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक की माता या पिता या संरक्षक उस बालक के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बारह मास के भीतर बालक के नाम के संबंध में या तो मौखिक या लिखित रूप में सूचना रजिस्ट्रार को देगा:

परन्तु यदि ऐसी सूचना बारह मास की उपर्युक्त कालावधि के पश्चात् दी जाती है, तो गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

(i) ऐसे मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किया गया था, वहां राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से अतिरिक्त पांच वर्ष की कालावधि दी जायेगी, या

(ii) ऐसे मामले में जहां रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किया गया हो और रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष की कालावधि पहले ही व्यपगत हो चुकी हो, उनमें भी राजस्थान

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि दी जाएगी। उन मामलों के संबंध में, जहां रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष की कालावधि अभी तक व्यपगत नहीं हुई है, उन्हें 15 वर्ष की कालावधि का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा; या

(iii) ऐसे मामले में जहां रजिस्ट्रीकरण राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष की कालावधि दी जायेगी।

धारा 23 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार,-

(क) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है तो पांच रूपये विलम्ब फीस के संदाय पर जन्म रजिस्टर में संबंधित प्ररूप के सुसंगत स्तम्भ में तुरंत नाम प्रविष्ट करेगा; या

(ख) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं है और यदि सूचना मौखिक दी गयी हो तो आवश्यक विशिष्टिंया देते हुए एक रिपोर्ट बनायेगा और यदि सूचना लिखित रूप में दी गयी हो तो उसे पांच रूपए की विलम्ब फीस के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

[संख्या एफ/13/1/3/आरजीआई/वीएस/डीईएस]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन जैन,

शासन सचिव।